रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18082020-221205
SG-DL-E-18082020-221205

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/श्रावण 27, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 103
No. 161]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2020/SHRAVANA 27, 1942	[N. C. T. D. No. 103

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–II (विभाग)

[कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायात (आधुनिकीकरण)ः दिल्ली]

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

सं. फा. 20/4/2003/गृ.पु.–II–2956.—जबकि, एस.बी.आई. लेन पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए एस.बी.आई. लेन पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस, यातायात (आधुनिकीकरण) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक, एतद्द्वारा एस.बी.आई. लेन पर संसद मार्ग से जय सिंह रोड तक प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख–रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस यातायात (आधुनिकीकरण): दिल्ली

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

[OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC (MOD.): DELHI]

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2020

F. No. 20/4/2003/HP-II/2956.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users on SBI Lane;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on SBI Lane to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Satyawan Gautam, Deputy Commissioner of Police/Traffic (Modernization), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on SBI Lane from Sansad Marg to Jai Singh Road for all type of vehicles, everyday from 9.00 AM to 9.00 PM, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

SATYAWAN GAUTAM, Dy. Commissioner of Police Traffic (MOD.), Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA